TECHNOLOGY AND AGRICULTURE (SHRI C SUBRAMANIAM) (a) to (d) Government's policy is to encourage setting up of industrial undertakings which are mainly export-oriented Special consideration is given to those categories of cases in the grant of industrial licences, etc In regard to monoply houses, foreign companies etc Government's policy is to consider the issue of industrial licences in areas other than those stipulated in Appendix I of the Industrial Policy Statement of Febuary, 1973 provided a minimum export obligation of 60% per annum is offered In areas reserved for small scale industry, the export obligation should be a minimum of 75% Government also consider whether balance of production which would be marketed within the country is of such a nature as not to swamp the other producers

During the period from 1-1-73 to 31st March, 1974 105 applications for the grant of industrial licences were received in which 60% or more of production was offered for export Out of these 38 schemes were approved and 29 schemes were pending as on 31st March 1974 38 schemes were either rejected or withdrawn Out of the applications which were pending on 31-3-74, 7 applications belonged to companies covered by the MRTP Act

लघु उद्योगो के विकास के लिए प्रतिरिक्त सुविधाएं

382. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) लघु उद्योगो के अवकास के लिए 1974–75 मे क्या अतिरिक्त सुविधाए लघु उद्योगो को प्रदान करने का प्रस्ताव है, और

(ख) गत वर्ष लघु उद्योगा की क्या विशेष सुविधाएं देने का प्रस्ताव था और वास्तव मे उन्हे क्या सुविधाए प्रदान की गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा कृषि मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्):

(क) 1974–75 की अवधि मे लघु उद्योगा को दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओ म विद्यमान लघ उद्याग सेवा सस्थानो का सुदृढ करके तथा नये सस्थानो की स्थापना करके गहन तकनीकी, प्रबन्धकीय विपणन तथा अर्थ विस्तार सवायें प्रदान करना शामिल है । इसके अलावा आधुनिकीकरण निर्यात् सवर्धन, उप ठेका आदान-प्रदान केन्द्रा की स्थापना सहित सहायक उद्योगो का विकास 57 अतिरिक्त जिला के लिए ग्रामीणोद्योग परियोजना कायक्रमो का विस्तार उदारीकृत आयात व्यापार केन्द्र के माध्यम से विपणन सहायता तथा क्षेत्रीय जाच केन्द्रा के माध्यम मे जाच की सुविधाए प्रदान करने की परिकल्पना है ।

(ख) लघु उद्योग विकास कार्यक्रम एक सतत प्रक्रिया है। इस क्षेत्र की आवश्यकता और साधनो की सुलभता के आधार पर लघु उद्योगा के सम्वर्धन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और सुविधाये प्रदान की जाती है । बहरहाल 1973–74 की अवधि मे लघु उद्योग क्षेत्र को दी गई विशेष सुविधाओ म सिर्फ इस क्षेत्र मे ही विकास के लिए आरक्षन 53 अतिरिक्त वस्तुए, आयात का उदारी करण दुर्लभ कच्चे माल का अधिक नियतन, लघ उद्योगा के स्वय नियोजक उद्यमो को "पैकेज" सहायता प्रदान करना तथा ऋण मे वृद्धि करना सम्मिलित है । लघु उद्योगो द्वारा अनुभव की जा रही तकनीकी और इजीनियरी समस्याओ को सुलझाने मे सहायता करने के लिए 17 राज्य अनुसधान विकास और डिजाइन समितियो का गठन किया गया ।